न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–सीधी

सीताराम विश्वकर्मा पुत्र श्री तुलसी विश्वकर्मा, निवासी– ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– मुस. लीलावती पत्नी श्री गणेशप्रसाद ब्राह्मण, निवासी– ग्राम झलवार तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–सीधी

.... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील रामपुर नैकिन द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/ए12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम झलवार में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 493, 493/2, 493/3 रकवा क्रमशः 0.10, 0.10 एवं 0.11 हेक्टेयर के सीमांकन हेतु आवेदन नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन के समक्ष अनावेदिका क्रमांक–1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो आदेश दिनांक 17.07.2012 से स्वीकार किया गया।

2– यहकि, उपरोक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 13.05.2012 को पटवारी द्वारा किया गया था। उक्त सीमांकन में केशवप्रसाद, मनमोहन साहू, चन्द्रभूषण, गजाधर, महावीर सरपंच, झूलपार, हरभूषण पटेल, अतिबतप्रसाद, राजेन्द्र पटेल तथा सभी निवासी झलवार उपस्थित थे और नक्शा मौका पंचनामा हस्ताक्षर किये थे। जिसे न्यायालय में पेश नहीं किया, जबकि सीमांकन सही तरीके से किया, जिसमें सीताराम विश्वकर्मा को आराजी नं. 492 में काबिज होना पाया गया था।

3– यहकि, दिनांक 26.05.2012 को पेश प्रतिवेदन स्थल टीप में मात्र राजेन्द्रप्रसाद के हस्ताक्षर हैं अन्य किसी भी सरहदी कास्तकार अथवा सीताराम के हस्ताक्षर नहीं है और स्थल टीप के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अग्नि के लाइन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2751-एक/12 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन के प्रकरण क्र. 20/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	